

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सागर**

क्रमांक./ /स्था.03/यू.सी.आर./नियु./7999

सागर, दिनांक 31.08.2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत **प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा)** के पद पर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

S.N	ROLL NUMBER	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	Block
1	3408250659630	16699	RAM SHANKAR JAISWAL F/H Name- JIYALAL JAISWAL	371 ITIYATHOK ITIYATHOK GONDA GONDA	UR	UR/X/OP	DISE- 23111018937 Sagar, GHSS MLNO2 SADAR(1 to 12)	Sagar
2	3402250748383	19365	SARVESH KUMAR F/H Name- RAJESH KUMAR	69 VILL DEVIPUR GADHOLAMAU POST MOOSANAGAR GHATAMPUR KANPUR NAGAR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110410407 Bina, GHSS BHANGARH(1 to 12)	Bina
3	3408250626670	20428	GYANENDRA KUMAR YADAV F/H Name- RAM BARAI YADAV	26 SATRAON HATWA TOLA SATRAON BARHAJ DEORIA	UR	UR/X/OP	DISE- 23110516578 Khurai, GHSS GIRLS, LALITA SHASTRI, KHURAI(1 to 12)	Khurai
4	3402250644151	21245	YASHPAL SINGH F/H Name- HARENDRA SINGH	NA VILLAGE BHUDASANI POST BHUDASANI MANT MATHURA	UR	UR/X/OP	DISE- 23110912304 Banda, GHSS BAHROL(1 to 12)	Banda
5	3402250730630	24682	PANKAJ KUMAR SHARMA F/H Name- RAMAVATAR SHARMA	VILL BANORA BALWANT KA PURA BASERI BASERI DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110416610 Bina, GHSS NO1 BINA(6 to 12)	Bina
6	3407250660563	24683	RAVI KUMAR SAINI F/H Name- KALYAN SINGH SAINI	15 MALI MOHALLA CHAINTOLI CHAINTOLI BHUSAWAR BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110405209 Bina, GHSS AAGASOUD(9 to 12)	Bina
7	3409250641121	26785	MUKESH KUMAR F/H Name- TEEKAM SINGH	VPO SINSINI DEEG BHARATPUR DEEG BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110516120 Khurai, GHSS KHIMLASA(6 to 12)	Khurai
8	3402250649757	28054	DHEERAJ SINGH F/H Name- BHOJPAL SINGH	100 BHATAWALI THOK MADEKA KUMHER BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23111015914 Sagar, GHSS AGRICULTURE	Sagar

18

							SURKHI(9 to 12)	
9	3402250673125	31297	VIVEK RAWAT F/H Name- PRAMOD RAWAT	88 RAMGARHA SAKHWARA SAIPAU DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110118603 Malthon, GHSS BARODIYA KALA(9 to 12)	Malthon
10	3404250690538	36310	NARENDRA KUMAR RAHANGDALE F/H Name- NEKSINGH RAHANGDALE	AT TIKARI POST KHOONT TEHSIL BARGHAT BARGHAT SEO	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23110603808 Deori, GHSS MAHRAJPUR(9 to 12)	Deori
11	3402250682629	38041	PRADEEP KUMAR PRAJAPATI F/H Name- RAMESH CHAND PRAJAPATI	76 BABA JI PARA BADAPURA BADAPURA SARMATHURA DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110516577 Khurai, GHSS KCSHARMAKH URAI(6 to 12)	Khurai
12	3402250703377	39232	RAKESH PRASAD F/H Name- RAJENDRA PRASAD	538 KA/1718 B SHIVLOK TRIVENI NAGAR THIRD SITAPUR ROAD LUCKNOW LUCKNOW	UR	UR/X/OP	DISE- 23110608807 Deori, GHSS RASENA(1 to 12)	Deori
13	3402250672317	39234	GAURAV F/H Name- DAMODAR	A 7 VIRONDHA VIRONDHA MANIYA DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110907603 Banda, GHSS BHADRANA(9 to 12)	Banda
14	3404250628451	41072	SHEKH SHEHZAD KHAN F/H Name- SHEKH FAIYAZ KHAN	HOUSE 05 MASHID KE PASS SHAHID UDAY CHANDRA WARD MANDLA MDL	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23110809709 Rahatgarh, GHSS SIHORA(6 to 12)	Rahatgarh
15	3409250631229	41893	RAHUL PATEL F/H Name- INDRA MANI	GRAM HANUMATPURA POST BILHA GUNOUR PAN	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23111122203 Rehli, GHSS BOYS, GARHAKOTA(9 to 12)	Rehli
16	3402250730650	42255	TAPASYA SHARMA F/H Name- UMASHANKAR SHARMA	VILLAGE MERTHA POST MERTHA TEHSIL RUPBAS RUPBAS BHARATPUR	UR	UR/X/F	DISE- 23110503003 Khurai, GHSS DHANORA (KHURAI)(9 to 12)	Khurai
17	3409250675724	43645	ARVIND PATEL F/H Name- SURENDRA KUMAR	211 GAURA POST BARACHH DEVENDRA NAGAR PAN	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23111120819 Rehli, GHSS GIRLS, GARHAKOTA(9 to 12)	Rehli
18	3402250640546	46429	MOHIT F/H Name- DEEPENDRA SINGH	275, SAINIK SUBODH SCHOOL KE PASS RADHA NAGAR BHARATPUR BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE- 23110812205 Rahatgarh, GHSS PEEPARA(6 to 12)	Rahatgarh

18

19	3409250732788	47225	MOHANLAL PATEL F/H Name- RAMADHAR PATEL	130 BAMURHA BAMURHA AMANGANJ PAN	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23111121417 Rehli, GHSS GIRLS, REHLI(9 to 12)	Rehli
20	3410250648629	50007	PREETI PATEL F/H Name- SURESH KUMAR PATEL	HOUSE NO 211 GAURA POST BARACHH PANNA PAN	OBC	OBC/X/F	DISE- 23111118809 Rehli, GHSS BALEH(9 to 12)	Rehli
21	3402250712958	51617	DHARMENDRA KUMAR SULAKHE F/H Name- RAJESHWAR	WARD NO 13 AT DIGHORI POST AMEDA LANJI BLG	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23111019709 Sagar, GHSS BOYS DHANA(9 to 12)	Sagar

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र

18

- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र—न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (स्पेशल डीएलएड) संबंधी दस्तावेज ।
- X. आरसीआई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाणपत्र एवं CRR नंबर
- XI. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र ।
- XII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XIII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIV. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट— 1)
- XV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट— 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा ।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अंतर्गत जिस शाला में दिव्यांग छात्रों की संख्या अधिक (अस्थि बाधित को छोड़कर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहाँ दिव्यांग विद्यार्थी होंगे, उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/ सहयोग करना होगा।

10/ आरसीआई द्वारा जारी सीआरआर नम्बर संपूर्ण सेवा के दौरान क्रियाशील रहना अनिवार्य है। आरसीआई प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छः माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष टीप:— यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला—सागर

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
7. संभागायुक्त, संभाग सागर मध्यप्रदेश ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर, संभाग सागर मध्यप्रदेश ।
9. कलेक्टर जिला सागर, मध्यप्रदेश ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला सागर, म.प्र. ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी सागर जिला सागर, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी सागर (म.प्र.) को दिनांक 07 सितम्बर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें ।

18
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सागर